

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./एल.आर./9185/2007/सीकर बागाराम बनाम नाथा एकल-पीठ श्री ताराचन्द्र सहारण, सदस्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06-09-2011	<p>उपस्थित—</p> <p>श्री अमित कुमार, अधिवक्ता, प्रार्थी श्री आत्माराम शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या—३ श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या — ४ अप्रार्थी संख्या १ व ३ बावजूद सूचना उपस्थित नहीं</p> <p><u>आदेश</u></p> <p>प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08—11—2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, सिहोट बड़ी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 20—4—2006 अप्रार्थी मन्नीदेवी के पक्ष में स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सीकर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे निर्णय दिनांक 8—11—2006 से स्वीकार करते हुए उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध श्रीमती मन्नीदेवी ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10—8—2007 से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8—11—2006 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण संख्या 431 को बहाल कर दिया। इसी निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी विवादित आराजी के मूल खातेदार नाथा पुत्र भीवा का दल्लक पुत्र है, जिसके पक्ष में नाथा द्वारा दिनांक 1—12—1993 को गोदनामा उप पंजीयक सीकर के कार्यालय में पंजीबद्ध कराया गया था। विवादित आराजी पैतृक भूमि है, जिसमें प्रार्थी का हक व अधिकार निहित है। प्रार्थी के उक्त हकों की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी संख्या—१ ने उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या—२ के पक्ष में विक्रय कर दिया जबकि प्रार्थी का भी उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा है। उनका कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पत्ति पर पुत्र का जन्म से ही हक व अधिकार होता है, प्रार्थी रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर नाथा का गोद पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दू की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि</p>	

WR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./एल.आर./9185/2007/सीकर दागाराम बनाम नाथा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित करते हुए नामान्तकरण संख्या 431 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया था। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।</p> <p>इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार नाथा द्वारा अपनी पुत्री के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्यपत्र निष्पादित कराया गया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्यपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिसे निरस्त करने में उपखण्ड अधिकारी द्वारा कानूनी त्रुटि की गयी थी। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित करते हुए उनके पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण को बहाल किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। उनका यह भी कथन है कि नाथाराम अप्रार्थी संख्या-1 जीवित है, उनके जीवनकाल में नाथाराम की सम्पत्ति पर गोदपुत्र को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः निगरानी खारिज की जावे।</p> <p>हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी संख्या-1 नाथा द्वारा खसरा नम्बर 597 रकबा 3.04 हैक्टर का रजिस्टर्ड विक्यपत्र अपनी पुत्री श्रीमती मन्नीदेवी के पक्ष में दिनांक 23-3-2006 को पंजीबद्ध कराया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 431 दिनांक 20-4-2006 को स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रार्थी को गोद लिया गया है जिसका गोदनामा 1-12-1993 को पंजीबद्ध कराया गया है। प्रार्थी यदि गोद पिता के जीवित रहते प्रश्नगत भूमि में अपना हित व अधिकार निहित होना मानता है तो उसके सम्बन्ध में उसे अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत करना चाहिए। जहां तक स्वीकृत नामान्तरकरण का प्रश्न है, उक्त नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्यपत्र के अनुसरण में नियमानुसार तस्दीक किया गया है यदि प्रार्थी उक्त रजिस्टर्ड विक्यपत्र को गैर कानूनी होना मानता है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विक्यपत्र का निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिए। हस्तगत निगरानी प्रकरण नामान्तरकरण से सम्बन्धित पारित आदेश के विलङ्घ हैं जिसमें पक्षकारों के स्वत्व व अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं किया</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./एल.आर./9185/2007/सीकर बागाराम बनाम नाथा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>जा सकता है। नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है, जिसमें केवल मात्र यहीं देखा जाना होता है कि जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए तस्दीक किया गया है अथवा नहीं। वर्तमान प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित खातेदार द्वारा पंजीबद्ध कराये गये विकायपत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं।</p> <p>परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-8-2007 को यथावत रखा जाता है।</p> <p>निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><i>Circular</i> 06-09-2011 (ताराचन्द सहारण) सदस्य</p>	